छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर

//आदेश//

नया रायपुर, दिनांक 07 सितंबर, 2016

क्रमांक एफ 20–16/2016/11/(6) : **छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016** के अनुसार बंद एवं बीमार उद्योगों के लिये घोषित पैकेज का लाभ लेने के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों के परीक्षण एवं उन पर निर्णय लेने हेतु राज्य शासन एतद् द्वारा निम्नानुसार समितियां गठित करता है :–

अ– जिला स्तरीय समिति –

1	कलेक्टर	:	अध्यक्ष
2	आयुक्त/संचालक उद्योग के प्रतिनिधि जो संयुक्त संचालक स्तर से कम न हो	:	उपाध्यक्ष
3	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग	:	सदस्य
4	संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग	:	सदस्य
5	कार्यपालक अभियंता, छ.ग. राज्य विद्युत वितरण कम्पनी	:	सदस्य
6	अग्रणी बैंक अधिकारी	:	सदस्य
7	संबंधित वित्त पोषण संस्था/ बैंक के शाखा प्रबंधक	:	सदस्य
8	सहायक आयुक्त श्रम विभाग,	:	सदस्य
9	खनिज अधिकारी	:	सदस्य
10	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग	:	सदस्य
11	संचालक, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान अथवा उनके प्रतिनिधि	:	सदस्य
12	मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र		सदस्य सचिव

12 SEP 2016

ब– राज्य स्तरीय समिति –

1	मुख्य सचिव	:	अध्यक्ष
2	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त विभाग	:	उपाध्यक्ष
3	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	:	सदस्य
4	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग	:	सदस्य
5	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	:	सदस्य
6	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उर्जा विभाग		सदस्य
7	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, जल संसाधन विभाग	:	सदस्य
8	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, खनिज संसाधन विभाग	:	सदस्य
9	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	:	सदस्य
10	अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग	:	सदस्य
11	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख	:	सदस्य
12	उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय	:	
13	उद्योग आयुक्त / संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय, रायपुर	:	सदस्य सचिव

2/ जिला स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों तथा राज्य स्तरीय समिति सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न उद्योग अर्थात मध्यम, वृहद, मेगा एवं अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट के प्रकरणों पर विचार कर निर्णय लेगी।

3/ उक्त समितियों के सदस्य सचिव छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016 की कंडिका 11.1 से 11.4 के अनुसार कार्यवाही कर प्रकरणों को संबंधित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें।

4/ उक्त समितियां यह निश्चित करेंगी कि आवेदक उद्योग बीमार/बंद की श्रेणी में आता है अथवा नहीं तथा इसके पुनर्वास/पुनर्संचालन की क्या संभावना है। इसके लिये समितियां सबंधित उद्योग /आवेदक से उसकी पुनर्वास योजना का प्रस्तुतिकरण तथा आवश्यक होने पर उद्योग विशेष से संबंधित तकनीकी कंसल्टेंट/सलाहकार, अप्रैजल एजेंसी से परामर्श भी प्राप्त कर सकेगी।

5/ जिला स्तरीय समिति एवं राज्य स्तरीय पुनर्वास समिति का कोरम 50 प्रतिशत होगा, समितियों की बैठक तीन माह में एक बार अवश्य होगी।

6/ बीमार/बंद उद्योग के पुनर्वास/पुनर्संचालन संभव होने का निर्णय उक्त समितियों द्वारा लिये जाने पर संबंधित उद्योग का **छत्तीसगढ़ बंद/बीमार उद्योगों हेतु विशेष प्रोत्साहन नीति, 2016 के अंतर्गत** पंजीयन किया जावेगा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा एवं सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों से भिन्न प्रकरणों में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा संबंधित उद्योग को बीमार/बंद घोषित किये जाने बाबत् आदेश जारी किये जायेगें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(व्ही.के.छबलानी)
विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

पृष्ठां.क्र एफ 20–16/2016/11/(6)　　　　　नया रायपुर दिनांक 7 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि :–

1 उप सचिव मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नया रायपुर
2 अतिरिक्त मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव छत्तीसगढ़ शासन, ... विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3 उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय छ0ग0, उद्योग भवन, रायपुर
4 भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय प्रमुख ....
5 उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक जोनल कार्यालय, रायपुर
6 कलेक्टर, जिला ....(छ0ग0)
7 संबंधित जिला अधिकारी ....
8 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ....

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग